

नए भारत का निर्माण—राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

कुमार, मुनेन्द्र

प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष शिक्षा विभाग ए किशन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ऐजुकेशन,
मेरठ (चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ।) उ०प्र०

ई-मेल drmunendra2013@gmail.com

सार

‘शिक्षा’ क्या है इस पर चर्चा करना आवश्यक है। ‘शिक्षा’ का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सीखाने की क्रिया परन्तु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखे तो शिक्षा किसी समाज में निरन्तर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। जिसके द्वारा मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है तथा मनुष्य को समाज एवं राष्ट्र का योग्य नागरिक बनाया जाता है। जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते हुए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलाव के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। इस नीति में न केवल वर्तमान युवा पीढ़ी को ध्यान में रखा गया है बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं व चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है। नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री डा० रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा—“देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में यह नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। “आगे फिर उन्होंने कहा—“यह शिक्षा नीति ज्ञान—विज्ञान, अनुसंधान नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त संस्कारक्षम, मूल्यपरक, हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए, भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी।”

मुख्य शब्द :- नई शिक्षा नीति 2020, विज्ञान, सिद्धान्त, स्कूल शिक्षा

प्रस्तावना:

शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता होती है। जिसमें अतीत का विश्लेषण, वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की सम्भावना निहित होती है। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक ओर विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कम्प्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें उर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान,

रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामों सामाजिक मुद्दे बहु विषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ-साथ दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। रोजगार और वैश्विक परिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे, जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे तो सीखे ही और साथ ही वह सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की जरूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों

के बीच अंतर्संबंधों को देख पायें, कुछ नया सोच पायें और नयी जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पायें। जरूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केन्द्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही, रुचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करें इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाये। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए, शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लायी गई है। पूरे 34 वर्षों के अन्तराल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव लाया गया है और बदलाव लाना जरूरी भी था। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी और साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिनका स्वप्न महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द रविन्द्रनाथ टैगोर आदि ने देखा था।

अध्ययन के उद्देश्य :-

1. नई शिक्षा नीति 2020 से परिचित होना।
2. नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य विजन को जानना।
3. पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता को जानना।
4. नई शिक्षा नीति 2020 के मूलभूत सिद्धान्तों के बारे में जानना।
5. नई शिक्षा नीति 2020 का स्कूल शिक्षा के सम्बन्ध में योजनाओं के बारे में जानना।

6. नई शिक्षा नीति 2020 का उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में योजनाओं के बारे में जानना।

7. नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा विकलांग बच्चों हेतु प्रावधानों के बारे में जानना।

8. नई शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधानों को जानना।

शोध विधि :-

यह शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से लिखा गया है। इस हेतु विभिन्न सरकारी रिपोर्ट, गजट, समाचार पत्रों एवं पुस्तकों से तथ्यों का संकलन किया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 :-

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। वर्ष 1968 और 1986 के बाद यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। एनईपी 2020 के तहत केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

अध्यक्ष: सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पूर्व इसरो प्रमुख पद्म विभूषण डा० के. जगदीश्वर राव

समिति: कस्तूरीरंगन समिति

समिति का गठन: जून, 2017 में किया गया तथा मई, 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा' कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया।

मंजूरी : 21 जुलाई, 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा इसे मंजूरी मिली।

नई शिक्षा नीति 2020 का विजन :

इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को

वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करें। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
- भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

नई शिक्षा नीति 2020 मूलभूत सिद्धान्त :

शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो की अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी, और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें।

मूलभूत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे, ये हैं:-

- **हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना**—शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं को उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दें।
- **बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना**—जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्याज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें।
- **लचीलापन**, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर-तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें।
- कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं, आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हों, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊँच नीच और परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सके।
- सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु विषयक (उनसजपकपेबपचसपदंतल) और समग्र शिक्षा का विकास।
- अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए बढ़ाई।
- **रचनात्मकता और तार्किक सोच** तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए
- **नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य** जैसे, सहानुभूति दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान वैज्ञानिक चिंतन,

स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय।

- बहु भाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन

- जीवन कौशल जैसे, आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन।

- सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को ही बढ़ावा मिलता है।

- तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर—अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में।

- सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है।

- सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना—यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें।

- स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यवस्था देख भाल तथा शिक्षा से,

- शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना— उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास, और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति।

- शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का, लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा साथ ही साथ स्यायत्ता, सुशासन और सशक्तीकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना।

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध।

- शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा।

- भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, और जहां प्रासंगिक लगे वहां भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना।

- शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए,

- एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश— साथ ही बच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा।

स्कूल शिक्षा :

यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नयी व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर की उपलब्धियां हासिल कर सकें और खुशहाल हो।

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा : सीखने की नींव

1.1 बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में, विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध

नहीं है, इसलिए ईसीसीई में निवेश करने से इसकी पहुंच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे।

1.2 ईसीसीई का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक-भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज-संवैगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है।

1.3 एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा अर्थात् 0-3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3-8 साल के बच्चों के लिए एक अन्य सब-फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। ईसीसीई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेगा।

1.4 भारत में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उच्चतर गुणवत्ता वाले ईसीसीई संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना वृद्ध लक्ष्य होगा। इस प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा जैसे महत्वकांक्षी लक्ष्य तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसे सभी छात्र तक पहुंचाना होगा।

1.5 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की सार्वभौमिक पहुंच के लिए, आंगनवाड़ी केन्द्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/ शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा।

1.6 यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या "बाल्वाटिका" (जो कि कक्षा 1 से पहले है) में स्थानान्तरित हो जाएगा।

1.7 ईसीसीई शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/

शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम/ शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जायेगा।

1.8 ईसीसीई को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की आश्रमशालाओं में भी शुरू किया जाएगा।

1.9 ईसीसीई पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

2. बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान : सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्वशर्त।

3. ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।

4. स्कूलों में पाठ्यक्रम एकीकृत, आनन्दयी और रुचिकर होना।

5. अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का शिक्षाक्रमीय एकीकरण।

6. स्कूल शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2020-21।

7. विद्यार्थियों के विकास के लिए आकंकन में परिवर्तन करके रचनात्मक आंकलन की ओर बढ़ावा देना।

8. विशेष प्रतिभा वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए सहायता प्रदान करना तथा विशेष दिशा निर्देश देना।

9. स्कूल शिक्षा नियामक प्रणाली का उद्देश्य शैक्षिक परिणामों में लगातार सुधार करना।

भाषाई विविधता का संरक्षण

एनईपी.2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

शारीरिक शिक्षा-विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार :

1. शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था रहेगी और समय-समय पर उनकी पदोन्नति का प्रावधान रहेगा।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एन. सी.ई.आर.टी. के परामर्श के आधार पर "अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा" का विकास किया जाएगा।

4. वर्ष 2020 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी0एड0 डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान-एनईपी-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3: (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके

साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।

एनईपी.2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। (1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)।

विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग-नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में कार्य करेगा।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय :

1. **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद** : यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नियामक का कार्य करेगा।

2. **सामान्य शिक्षा परिषद** : यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा अर्थात् उनके मानक निर्धारित का कार्य करेगा।

3. **राष्ट्रीय प्रत्यापन परिषद** : यह संस्थानों के प्रत्यापन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी

मानदंडों, सार्वजनिक स्व प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा।

4. **उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद** : यह निकाय कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्तपोषण का कार्य करेगा।

विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान –

आज भारत वर्ष में दिव्यांग विकलांग छात्रों की एक बड़ी संख्या है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना भी सरकार का दायित्व है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु नई शिक्षा नीति शिक्षण सामग्री और आधारभूत ढांचा तैयार करने पर बल देती है।

इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारम्भिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा।

डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान–

1. एक स्वायत्त निकाय के रूप में “राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक मंच” का गठन किया जाएगा। जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान प्रदान किया जा सकेगा।

2. डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी, इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी। पारंपरिक ज्ञान सम्बन्धी प्रावधान–भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ, जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा।

निष्कर्ष:-

नई नीति का विजन ही ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें भारतीय परम्पराओं और मूल्यों को जगह मिले। शिक्षा प्रणाली में इण्डिया की जगह

भारत की झलक मिले। इसका उद्देश्य ऐसी समतावदी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली बनाना है जिससे एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण हो। इसमें प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक ज्ञान को शामिल किया गया है। इस नीति को लागू करने के लिए रोड मैप भी सरकार द्वारा तैयार किया गया है। इस नीति को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की जाएगी जो केन्द्र और राज्य के बीच नीति लागू करने के लिए समीक्षा प्रस्तुत करेगी। आज जैसे विश्व के पटल पर भारत शिक्षा व नैतिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तथा आत्मनिर्भर भारत को विकसित करने में शिक्षा नीति एक प्रभावशील योजना के रूप में स्थापित होगी तभी एक नए और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।

संदर्भ:-

- 1- दृष्टि, The vision (चर्चित मुद्दे) नई शिक्षा नीति, 2020
- 2- www.drishtiias.com दृष्टि, The Vision (राष्ट्रीय शिक्षा नीति: महत्व व चुनौतियाँ, 31 July 2020)
- 3- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. प्रो० के०एल० शर्मा, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण, पृष्ठ संख्या 2, 24 अगस्त 2020
5. राजस्थान पत्रिका नागौर, 28 जनवरी 2020, सम्पादकीय पृष्ठ।
6. गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति, पृष्ठ संख्या 4, 22 अगस्त 2020
- 7- www.drishtiias.com नई शिक्षा नीति, 25 अगस्त, 2020।